भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 426
उत्तर देने की तारीख : 04.02.2025

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पहल

426. **श्री दामोदर अग्रवाल :**
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री मनोज तिवारी :
श्री प्रवीण पटेल :
श्री अनूप संजय धोत्रे :
श्री विजय बघेल :
श्री पी.पी.चौधरी :
श्रीमती कृति देवी देबबर्मन :
डॉ. निशिकान्त दुबे :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
सुश्री कंगना रनौत :
श्री काली चरण सिंह:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ :
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई 16 पहलों, जिनका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच और समान अवसर सुनिश्चित करना है, के बारे में सुदूर या वंचित क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, साथ ही लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में, विशेष रूप से जलगांव लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिव्यांगजनों के जीवन पर इस सशक्तिकरण और समावेशन के पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव की जांच करने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिव्यांगजनों पर इन पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो चिह्नित की गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या दिव्यांगजनों की इन पहलों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कोई समर्पित हेल्पलाइन या सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने पूरे भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए 16 अभूतपूर्व पहलों की शुरुआत के साथ अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 को चिह्नित किया। इन पहलों के माध्यम से, इस विभाग का लक्ष्य प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए समान अवसर, पहुंच और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। शुरू की गई पहलों की सूची **अनुबंध** में दी गई हैं।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापक जागरूकता की गई है ताकि दूरदराज या कम सेवा वाले क्षेत्रों सहित पूरे भारत में दिव्यांगजनों को इन पहलों के बारे में सूचित करना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अध्याय IX में गैर सरकारी संगठनों आदि जैसे संस्थानों के पंजीकरण का प्रावधान है जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि उपयुक्त सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर, पंजीकृत संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जैसे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में इन योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें।

जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी वातावरण बनाने के लिए अधिकांश पहलें निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू की गई हैं। ऐसी पहलों में दिव्यांगजनों के प्रयोग के लिए बेहतर सहायक यंत्रों और उपकरणों की शुरुआत करना, दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन करना, पहुंच और सुगम्य अधिगम सामग्री आदि में वृद्धि करने के लिए कोड साझा करना शामिल है।

(ग) और (घ) : ये 16 पहलें प्रत्येक दिव्यांगजन के लिए समान अवसर, पहुंच और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने तथा देश में दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए शुरू की गई हैं। दिव्यांगजनों

के सशक्तिकरण की दिशा में समग्र सुधार के लिए विभाग द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ आवधिक समीक्षा और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई (फोलो-अप) की जाती है।

पहचान की गई कमियों को दूर करने के लिए, विभाग निगरानी तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ सख्त नीति कार्यान्वयन और प्रवर्तन पर केंद्रित है।

(ङ) : जी हां। विभाग ने जनवरी 2024 में शॉर्ट कोड-14456 पर राष्ट्रीय दिव्यांगता सूचना हेल्पलाइन सेवा (एनडीआईएचएस) शुरू की। यह हेल्पलाइन एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी में, चौबीसों घंटे टेलीफोन सहायता प्रदान करती है और कार्य-समय के दौरान कॉल अटेंडेंट की सहायता प्रदान करती है।

एनडीआईएचएस दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी) सेवाओं, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ, और रियायतें आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 65,000 व्यक्तियों की सहायता की गई है।

****

अनुबंध

3 दिसंबर, 2024 को शुरू की गई पहलों की सूची

1. **सुगम्य भारत अभियान:** निर्मित वातावरण के लिए सुगम्यता लेखा परीक्षकों की सूचीबद्धता हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफोर्म की शुरुआत की गई, जो समावेशी अवसंरचना के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
2. **सुगम्य भारत यात्रा:** एसोसिएशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ साझेदारी में एक अनूठी पहल, जहां दिव्यांगजन एआई-सक्षम "यस टू एक्सेस" ऐप का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों की पहुंच का आकलन करेंगे।
3. **पथवेज टू एक्सेस – पार्ट 3 सार-संग्रह:** इस श्रृंखला की तीसरी किस्त में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख सरकारी दस्तावेजों पर प्रकाश डाला गया है, जो उन्हें संसाधनों के बारे में जानने और उन तक पहुंचने में सशक्त बनाते हैं।
4. **उच्च शक्ति (हाई-पॉवर) वाले चश्मे:** सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा बनाए गए ये चश्मे कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए हैं, जो बेहतर ऑप्टिकल स्पष्टता प्रदान करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं।
5. **दिव्याशा ई-कॉफी टेबल बुक:** यह एलिम्को की ई-बुक है, जो उसकी 50 वर्ष की यात्रा के स्मरण में शुरू की गई है, यह दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान करने में प्रेरक कहानियों और उपलब्धियों को दर्शाती है।
6. **कदम घुटने का जोड़ (नी जाइन्ट):** आईआईटी मद्रास और एसबीएमटी द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी नवाचार, जो बढ़ी हुई गतिशीलता और टिकाऊपन (डयूरबिलिटी) प्रदान करता है, जिसे सहायक प्रौद्योगिकी में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में लॉन्च किया गया।
7. **जागरूकता सृजन और प्रचार पोर्टल:** पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए जागरूकता सृजन और प्रचार योजना के अंतर्गत निर्बाध आवेदन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया।
8. **सुगम्य कहानी पुस्तकें:** एनआईईपीवीडी और एनबीटी के सहयोग से, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल, ऑडियो और बड़े प्रिंट प्रारूपों में 21 सुगम्य पुस्तकों का विमोचन किया गया।
9. **मानक भारती ब्रेल कोड:** यूनिकोड मानकों के साथ, सामंजस्य और सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए 13 भारतीय भाषाओं में मानकीकृत ब्रेल लिपियों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रस्तुत किया गया।
10. **ब्रेल पुस्तक पोर्टल:** समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रेल पुस्तकें बनाने हेतु एक ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल का अनावरण किया गया।
11. **इंफोसिस बीपीएम के साथ समझौता ज्ञापन:** यह पीएम दक्ष पोर्टल के दिव्यांगजन रोजगार सेतु पहल के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी है।
12. **रोजगार कौशल पुस्तक:** 11 भारतीय भाषाओं में जारी की गई यह पुस्तक दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार के बीच की कमियों को दूर करती है तथा आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है।

13. **इंफोसिस स्प्रिन्गबोर्ड कौशल कार्यक्रम:** इंफोसिस स्प्रिन्गबोर्ड ने यूनिकी के सहयोग से, भारत भर में बधिर शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित करने और विपणन योग्य क्षमताएं हासिल करने में मदद करने के लिए पाठ्यक्रम प्रदान किया है।
14. **श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए गूगल एक्सटेंशन:** साइनअप मीडिया और यूनिकी ने मनोरंजन और अन्य वीडियो सामग्री तक पहुंच के लिए, भारत में बधिर समुदाय के लिए मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक मीडिया में सांकेतिक भाषा संचार की मजबूती, विश्वसनीय, सुगम्य स्रोत प्रदान करने के लिए साझेदारी की है।
15. **ई-सानिध्य पोर्टल:** टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट और एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद ने टाटा ई-सानिध्य न्यूरो-डायवर्सिटी प्लेटफॉर्म को एक विशेष ऑनलाइन और ऑफलाइन (डिजिटल) सेवा के रूप में तैयार किया है, जो न्यूरो-डायवर्सिटी की स्थिति वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से ऑटिज्म से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है।
16. **एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद द्वारा कंप्यूटर आधारित भारतीय बुद्धि परीक्षण:** एनआईईपीआईडी ने अपनी सांस्कृतिक प्रासंगिकता और संवेदनशीलता को प्रमुखता देते हुए एक स्वदेशी भारतीय बुद्धि परीक्षण तैयार किया है। भारत के विभिन्न हिस्सों से 4,070 बच्चों से प्राप्त डेटा यह सुनिश्चित करता है कि यह परीक्षण भारतीय आबादी का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।

****